प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ पुत्र श्री देवमूरत, निवासी जनपद-चन्दौली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-35583/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.11.2023) दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ पुत्र श्री देवमूरत, ग्राम-भीषमपुर, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली का निवासी है। दहेज की मॉग को लेकर दिनांक 19.03.2008 को बन्दी ने मिट्टी का तेल गिराकर माचिस से आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती पताली उर्फ कलावती देवी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-454/2008 भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी कोर्ट सं०-1, चन्दौली के आदेश दिनांक 16.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 22.09.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 06 माह, 03 दिन तथा 16 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मॉग को लेकर दिनांक 19.03.2008 को बन्दी ने मिट्टी का तेल गिराकर माचिस से आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती पताली उर्फ कलावती देवी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का जेल आचरण वर्तमान में सन्तोषजनक तथा जेलदण्ड-01 है। बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवनाथ पुत्र देवमूरत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ (बन्दी संख्या-163/2018) पुत्र श्री देवमूरत, निवासी जनपद-चन्दौली के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-474/2025/4146(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-474/2025/4146/22-2-2023-17(58)/2024

दिनांक 19 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ पुत्र श्री देवमूरत, ग्राम-भीषमपुर, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली का निवासी है। दहेज की मॉग को लेकर दिनांक 19.03.2008 को बन्दी ने मिट्टी का तेल गिराकर माचिस से आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती पताली उर्फ कलावती देवी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-454/2008 भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी कोर्ट सं०-1, चन्दौली के आदेश दिनांक 16.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 22.09.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 06 माह, 03 दिन तथा 16 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मॉग को लेकर दिनांक 19.03.2008 को बन्दी ने मिट्टी का तेल गिराकर माचिस से आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती पताली उर्फ कलावती देवी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का जेल आचरण वर्तमान में सन्तोषजनक तथा जेलदण्ड-01 है। बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवनाथ पुत्र देवमूरत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।